उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
मुख्यालय, 2–महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

पीबीएक्स 0522–4151200
फैक्स 0522–2629284
ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्राँक : बैंकिंग / व्यव0विवि0 / 2023–24 / PB-408
दिनाँक : 17 नवम्बर, 2023

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखायें,
उ0प्र0।

बैंक मुख्यालय द्वारा व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत शाखाओं के स्तर से ऋण वितरित किये जाने हेतु निर्गत अधिकतर ऋण परिपत्रों के अनुसार ऋण की गारण्टी हेतु दो गारण्टर्स की गारण्टी लिया जाना अनिवार्य होता है। बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनाक–30.10.2023 में पारित प्रस्ताव सं0–05 में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के क्रम में व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत शाखाओं द्वारा सम्पत्ति को बन्धक रखकर स्वीकृत किये जाने वाले ऋणों (**बिजनेस टर्म लोन एवं ट्रेडर्स लोन को छोड़कर**) तथा कार ऋण एवं दो पहिया वाहन ऋण में एक ही गारण्टर की गारण्टी लिये जाने का निर्णय लिया गया है जो आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत पूर्व निर्गत परिपत्र में उल्लिखित शेष नियम, शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है आप उपरोक्तानुसार शाखा स्तर पर कार्यवाही करते हुए ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें।

17.XI.23

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि</u> : <u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. प्रभारी (आईटी सेल), उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय को सीबीएस सॉफटवेयर में उपरोक्तानुसार यथावश्यक संशोधन एवं बैंक की वेब साईट पर परिपत्र अपलोड कराने हेतु।
3. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर–अध्यक्ष प्रकोष्ठ, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 मुख्यालय, लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।

17.XI.23

प्रबन्ध निदेशक

D:\BKG 2\circulars\all circulars.doc